पाँच रुपये FIVE RUPEES   दस रुपये TEN RUPEES

cf 15/ 39

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १६८ निगरानी

R-2298-PBR/98

मेवा देवी पत्नी पूरनसिंह, निवासीन ग्राम पुर, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र०
-- प्रार्थिया

विरुद्ध

१। रामप्रसाद २। जनकसिंह पुत्रगण धानी ३। अर्जुनसिंह पुत्र रामप्रसाद निवासीगण ग्राम मानपुरा, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमांक ... श्री ... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 26/11/98 को प्रस्तुत ... ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय, म०प्र० ग्वालियर दिनांक १६-७-६८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ६०।६४-६५ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय एवम जिला बन्दोबस्त अधिकारी महोदय की आज्ञाये कानूनन सही नहीं है

(२) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय एवम जिला बन्दोबस्त अधिकारी महोदय ने पुनर्स्थापन के संबंध में अत्यधिक कठोर रुख अपनाया है ।

(३) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय के विवादित आदेश के पद क्रमांक २ से यह स्पष्ट है कि जिला बंदोबस्त अधिकारी महोदय के के समक्ष पुनर्स्थापन का आवेदन पत्र समयावधि में प्रस्तुत किया जा चुका था । प्रकरण में देखना यह था कि जिस दिन प्रकरण अदम पैरवी में

-----2

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2298-पीबीआर/1998 निगरानी जिला भिण्ड

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषक के हस्ताक्ष
3-8-16	यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 60/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनॉक 16-7-1998 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता , 1959 की 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्रीके0डी0दीक्षित एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री ए0के0सिंघल को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनॉक 16-7-1998 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 74/93-94 निगरानी दिनांक 25-10-94 को अदम पैरवी में निरस्त हुई, जिसके पुर्नस्थापन हेतु धारा 35(3) के अंतर्गत दिया गया आवेदन भी आदेश दिनांक 5-6-95 को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 60/ 1994-95 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनॉक 16-7-1998 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है जिस विचार करने	

से स्थिति यह है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 में व्यवस्था की गई है कि :-

"धारा 35(3) के आवेदन की अस्वीकृति होने पर अपील - केवल एक अपील का हक है - माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने विनिश्चित किया है कि एक ही अपील 35(4) के अधीन हो सकेगी - आगे द्वित्तीय अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण नहीं होगी।" (सौदान सिंह बनाम म0प्र0राज्य 1986 रा.नि. 1 = 1986 म0प्र0लॉ0ज0 302 हा0को0)

उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन-योग्य नहीं पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य